प्रादेशिक सरकारों को एक निवेदन और आदेश जा चुका है।...

श्री अजीत जोगी: मान्यवर, मैंने पूछा था कि क्या दूसरे प्रदेशों को, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जिन प्रदेशों में अम्बेडकर ग्राम की योजना लागू नहीं की गई है, उनमें भी केन्द्र-शासन कोई वित्तीय प्रावधान, वित्तीय मदद इस योजना के लिए करेगी?

श्री सीताराम केसरी: मान्यवर, मैंने कहा कि सभी प्रादेशिक, सरकारों को निवेदन जा चुका है कि बाबा साहब डा० अम्बेडकर के नाम पर अपने प्रदेशों में ग्राम का नाम रखें। यहां तक केरल और उत्तर प्रदेश का है, वहां इस दिशा में आगे काम हो चुका है, मगर और प्रदेशों से अभी कोई उत्तर नहीं आया है और हमेशा हम निरन्तर उनको अपना आदेश या डायरेक्शन देते रहते हैं।...

श्री अजीत जोगी: सभापति महोदय, ...

श्री सभापति: आपके दो प्रश्न हो गए।

श्री अजीत जोगी: नहीं, साहब, पूरा उत्तर नहीं आया था, इसलिए पूछा था।...

श्री सीताराम केसरी: जहाँ तक केन्द्रीय वित्त का सवाल है स्थानीय प्रादेशिक सरकार को, उनकी भी अपनी योजना के अंतर्गत वित्त व्यवस्था है, इसलिए वे अपने प्रदेश के आधार पर ही बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर ग्रामों का नामकरण करें, ऐसा आग्रह है।

श्री सभापति: श्री बेकल "उत्साही"।

श्री अजीत जोगी: सभापति महोदय, ...

श्री सभापति: आपके दो प्रश्न हो गए, दो सप्लीमेंटरी हो गए।

श्री अजीत जोगी: सर, एक ही प्रश्न पर पूरा उत्तर नहीं आया था, इसलिए वह पूछा था।

श्री सभापति: नहीं-नहीं। श्री बेकल "उत्साही"।

श्री बेकल "उत्साही": सभापति महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि बाबा अम्बेडकर देश के बड़े प्रतिष्ठित नेता थे और हैं और हमारी सरकार और हमारे मंत्री महोदय ने...

श्री सभापति: प्रश्न कर लीजिए जल्दी से।

श्री बेकल "उत्साही": इस ओर जो कुछ किया है, उसके लिए धन्यवाद। मैं पूछना चाहता हूं कि बाबा अम्बेडकर, जो पूरे देश के नेता थे, उनके नाम का कोई विशेष संस्था या समुदाय अनुचित लाभ न उठाए, इस बात को सुनिश्चित बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री सीताराम केसरी: मान्यवर, जहां तक उनके महान नाम के एक्सप्लॉयटेशन का प्रश्न है, वह तो एक दुखद चैप्टर है, मगर वे सुधारक ही नहीं महान क्रांतिकारी थे। जहां तक उनकी विचारधारा के प्रसार का प्रश्न है, उस दिशा में केन्द्रीय सरकार बड़ी प्रयत्नशील है और प्रयास कर रही है।

MR. CHAIRMAN: Questions Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Excise Duty Exemption on Ayurvedic Drugs

*364. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is an excise duty exemption on ayurvedic drugs; and

(b) if so, how much excise duty exemption had been enjoyed by top 10 drug companies in India during the last three years companywise and yearwise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) Yes, Sir. Under Notification No. 32/89-CE dated 1-3-1989, there is a full exemption from payment of excise duty on ayurvedic drugs.

(b) The manufacturers of fully exempted excisable goods are not required to furnish the information pertaining to production and clearance under the provisions of Central Excise Rules, 1944 and notification issued thereunder. The figure of excise duty exemption enjoyed in respect of ayurvedic drugs cannot, therefore, be readily determined.